रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-878/2018/1534/22-2-2018-17(243)/2018

लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ** में निरूद्ध सिद्धदोष **बन्दी मातादीन (बन्दी संख्या-23167) पुत्र श्री रामरतन, जो-निवासी-बडागांव**, थाना-कदौरा, जनपद-जालौन का रहने वाला है**,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-86/1982** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302** के अधीन **दिनांक 06.08.1982** को मा0 सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई द्वारा आजीवन कारावास के **दण्ड से दण्डित** किया गया, की 80 वर्ष की आयु, अशक्तता, भविष्य में अपराध करने की संभावना न होने, 16 वर्ष से अधिक अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काटने, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते है कि उक्त बंदी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये **जिला मजिस्ट्रेट**, **जालौन** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-878/2018/1534(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।

3- पुलिस अधीक्षक जालौन ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0 प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in